# NOTE FOR JUSTIFICATION

**कार्य का नाम :–** **जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड जयहरीखाल में वड्डा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से मलारा बड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई स्वीकृत 1.00 किमी0। वास्तविक लं0 0.925 किमी0।**

उपरोक्त विषयक सम्बन्धित कार्य के प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल पौड़ी के पत्रांक 487/जि0यो0/लो0नि0वि0/2015–16 दि0 08.07.2015 द्वारा प्राप्त कुल रु0 46.62 लाख की प्राप्ति हुई है। प्रस्तावित संरेखण वड्डा ताडकेश्वर मोटर मार्ग के किमी0 6 से प्रारम्भ होता है व 1.00 किमी0 मलारा बड़ा तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम मलारा बड़ा की कुल 200 की आबादी लाभान्वित होगी जो आज तक किसी भी मोटर मार्ग से नहीं जुड़ी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा उपलब्ध होगी वर्तमान में गांव की महिलाएं पानी लकड़ी चारा आदि लेने पैदल दूर जाती हैं। मार्ग निर्माण के पश्चात् उनका बहुमूल्य समय बचेगा साथ ही वे अपने घर व पाल्यों को अधिक समय दे पायेंगी जिससे पाल्यों का लालन–पालन व पठन –पाठन ठीक से होगा तथा कुपोषण जैसी समस्या दूर होगी। गांवों में चिकित्सालय तथा विद्यालय खुलने के अवसर मिलेंगें। ग्रामवासियों द्वारा अपने उत्पादित फल, सब्जी, आनाज आदि को बाजार तक बिना किसी कठिनाई के ले जा पायेंगे तथा स्थानीय लोंगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगें। इस प्रकार सम्बन्धित ग्रामों का चहुमुखी विकास सम्भव हो पायेगा।

इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु बिस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त दो संरेखणों पर विचार किया गया। नक्शे में लाल रंग से दर्शाया गया संरेखण उपयुक्त है। जिसमें आम ग्रामवासियों की सहमति है व संरेखण में पेड़ों की संख्या व वन भूमि अपेक्षाकृत न्यूनतम है। इस संरेखण का अधिकांश भाग राज्य सिविल भूमि से होकर गुजरता है इस संरेखण में टैरेन कास स्लोब $25^0$ से $60^0$ तक है तथा तकनीकी दृष्टि से यह संरेखण उपयुक्त पाया गया है। इस मोटर मार्ग के निर्माण में आरक्षित वन भूमि शून्य है सिविल वन भूमि 0.840हे0 व वन पंचायत भूमि शून्य हे0 अर्थात कुल वन भूमि 0.840 हे0 एवं नाप भूमि 0.113 हे0 प्रयुक्त की जानी है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से प्रभावित होने वाले चीड़ प्रजाति के कुल पेड़ों की संख्या 19 है मोटर मार्ग के निर्माण के अन्तर्गत कोई मकान, मस्जिद, कब्रिस्तांन या श्मशान का भाग नहीं है।

नक्शे में बैंगनी रंग से दर्शाया गया संरेखण वैकल्पिक संरेखण है इस संरेखण में मार्ग का ग्रेड अधिक होने के कारण तकनीकी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है एवं मार्ग की लम्बाई अधिक हो रही है। उक्त को ध्यान में रखते हुए इस संरेखण को निरस्त किया गया है।

वन भूमि प्रत्यावर्तन करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानो के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

सहायक अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0
लैन्सडौन गढ़वाल।

उपजिलाधिकारी सतपुली

जिलाधिकारी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी

D:\DATA -29-8-19\SK-World\AMIN\...